Government of Rajasthan
Department of Home
(Gr-6)

No. f.3(23)Home-6/2006 Dated 7 th April 2007

All State Public Information Officers
Rajasthan.

Sub: Posting Information on Website
(www. rajasthan. gov. in / rti-info)

It is painful to note that despite clear instructions vide circular No. F.9(23)Home-5/2005/Pt-2 dated 11-8-2006. the desired information is not being posted on the website regularly. In the Government, this has been viewed seriously.

It may be kept in mind that Right to Information Act envisages time frame for furnishing information to individuals and also an annual report by the State Information Commission. Obviously, it makes obligatory upon every public Authority that the right to information of every individual is honoured as per letter and spirit of the law and the information/data base required to be maintained for ascertaining satisfaction for this purpose (keeping registers duly posted and displaying the information on the website) is maintained properly.

Therefore, please ensure that:-

1. Information as on 31-3-07 is posted on website latest by 15-4-2007.
2. The posting of information is done regularly from now onwards.

(H.S. Bhardwaj)
Dy. Secretary to Government

राजस्थान सरकार
वित्त (समन्वय) विभाग

क्रमांक प. 17(8) वित्त/समन्वय/2005 जयपुर दिनांक

परिपत्र

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत लोक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी एवं राज्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति के आदेश समसंख्यक आदेश दिनांक 29.9.05 के द्वारा पूर्व में ही प्रसारित किये जा चूके है, आदेश दिनांक 29.9.05 के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रतिलिपि भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की गई थी। गृह विभाग के स्तर से परिपत्र दिनांक 11.8.06 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी कियान्वयन हेतु दिशा – निर्देश प्रसारित किये गये है। इस परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जाकर वित्त विभाग के अधीन समस्त लोक प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराते हुये इन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करा प्रगति की स्थिति से वित्त विभाग को अवगत कराया जाये।
संलग्न – उपरोक्तानुसार

(सुभाष गर्ग)
शासन सचिव (III) वित्त विभाग

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
3. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, अल्प बचत विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, कोष एंव लेखा विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि एंव अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, भूमि एंव भवन कर विभाग, जयपुर।
12. निदेशक, राज्य लॉटरी विभाग, जयपुर।
13. महाप्रबन्धक, राज. गंगानगर शुगर मिल्स, लि. जयपुर।
14. प्रबन्ध निदेशक, राज. स्टेट ब्रेवरीज कोर्पो0 लि0, जयपुर।

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त
2. निजी सचिव, शासन सचिव (I/II/III) वित्त
3. विशेषाधिकारी/उप शासन सचिवए वित्त (राजस्व/कर/आबकारी/अंकेक्षण) विभाग

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह विभाग
(ग्रुप 5)

क्रमांक एफ 9(23) गृह–5/2005/पार्ट –2 दिनांक 11 अगस्त 2006

–: परिपत्रः–

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन।

हालांकि नये अधिनियम को प्रचलित हुए एक वर्ष से अधिक की अवधि हो गयी है एंव इससे व्यवहारतः आम जनता के लिए वांछित सूचना दिये जाने के अधिकार की व्यवस्था जो 12.10.2005 से लागू हुई है की अवधि भी अब लगभग 10 माह हो गयी है। परन्तु अब भी सूचना अधिकारियों एंव आम नागरिकों में कुछ भ्रान्तियां बनी हुई है। आम नागरिकों को यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसे सूचना के लिए कंहा प्रार्थना पत्र देना चाहिए, फीस किस प्रकार एंव कहा जमा होगी तथा किस प्रकार सूचना मिल सकती है। कुछ दृष्टान्त ऐसे आये है जिनमें आवेदक ने अपना प्रार्थना पत्र बहुत बड़ी प्रश्नावली के रूप में पेश किया है एंव उस के उत्तर की अपेक्षा की है, जबकि लोक सूचना अधिकारी वैधानिक व्यवस्था को देखकर यह मंतव्य रखता है कि सूचना वही देय है जो अधिनियम में परिभाषित है। इसी प्रकार कुछ दृष्टान्त ऐसे भी आये है जिनमें आवेदक ने अपनी सृजनात्मकता एंव कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए बड़े फार्मेट बनाकर अपेक्षा की है कि सूचना संकलित करके उसे उस फार्मेट में उपलब्ध करायी जाये जबकि विभाग में सूचना उससे भिन्न रूप मे संधारित की जाती है लोक सूचना अधिकारी यह तय नहीं कर पा रहे है कि सूचना वांछित फार्मेट में नहीं संधारित होने के कारण देय है या नहीं कुछ स्वंय सेवी संस्थाए भी इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना दिलवाने में आमजन की सहायतार्थ आगे आयी है। उनके प्रयास कुछ हद तक नागरिकों के लिए मददगार भी साबित हुए है किन्तु उनके द्वारा किये प्रयासों को लेकर समाचार पत्रों में आये दिन प्रकाशित समाचारों से कुछ भ्रान्तियां भी पैदा हुई ह। कई आवेदक वाछित जानकारी के आभाव में लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के यंहा आवेदन करने के बजाय संबधित क्षेत्रीय कार्यालय में ही आवेदन कर रहें है। उदाहरणार्थ थाने या तहसील में आवेदन करने एंव वंहा के प्रभारी अधिकारी को अधिनियम का ज्ञान नहीं होने के भी कुछ समाचार प्रकाशित हुए है। जंहा यह वांछित है कि कार्यालय प्रभारी के स्तर पर वैधानिक व्यवस्था की जानकारी करायी जाये वहीं यह भी वांछित है कि आवेदक के कार्यालय में पंहुचते ही उसे सूचना पटट् से यह जानकारी मिल जावें कि उसे आवेदन कहां करना है।

हांलाकि इस विभाग के पत्र दिनांक 3.10.2005 के द्वारा लोक प्राधिकरणों, राज्य लोक सूचना अधिकारयों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों, अपील अधिकारियों आदि

संबधी व्यवस्था के सन्दर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिये गये थे एंव राज्य लोक सूचना आयोग का गठन भी अप्रेल 2006 में किया जा चुका है। परन्तु अभी तक अधिकांश लोक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपेक्षित सूचनाऐं प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था नहीं की गयी है।

आवेदक को मार्गदर्शन दिये जाने एंव सूचना दिये जाने के प्रति उत्साह दिखाने के अभाव में आवेदक द्वारा ऐसी सूचना के लिए भी आवेदन दिये जाने लगे हैं जिसे उपलब्ध कराना विधिक या व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त होता है ऐसे कुछ प्रकरण भी संज्ञान से आये है जिनमें लोक सूचना अधिकारी

सहयोग कर्ता अधिकारी को ही सूचना प्रदान करने का दायित्व निर्वहन का निर्देश दे देते हैं। अधिनियम का मन्तव्य यह है कि आम जनता को विधि व्यवस्था के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व निर्वहन लोक सूचना अधिकारी द्वारा किया जावें। बल्कि यह भी सोच रखी गयी है कि यथा सम्भव सामान्य जनता के उपयोग में आने वाली सूचनाओं को स्वंयमेंव लोक सूचित किया जावें।

धारा 4 के अधीन निर्दिष्ठ सूचनाओं के प्रचलित किये जाने के अभाव में एंव विभिन्न लोक प्राधिकरणों के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव राज्य लोक सूचना अधिकारी प्रदर्शित नहीं होने के कारण जहां एक तरफ आवेदक को कठिनाई महसूस हो रही है वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अज्ञान प्रदर्शन करने के कारण अधिनियम के कियान्वयन में कठिनाई का अनुभव किया गया हैं।

लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु ''जिज्ञासा एंव समाधान'' उपलब्ध करा दिये गये हैं, तथा विधिक व्यवस्था के अनुसार युजर गाईड भी तैयार कराली गयी है जिसे निकट भविष्य में प्रकाशित कराया जाना है। इसमें आम नागरिकों के लिए अपेक्षित जानकारी दी जायेगी परन्तु इस व्यवस्था का आम नागरिकों को लाभ तभी मिलेगा जब वह इसका अध्ययन करने की स्थिति में होगा। अतः आम नागरिक की सामान्य कठिनाई के निराकरण के लिए अपेक्षित हैं कि :–

क) सभी लोक प्राधिकरणों के मुख्यालयों पर संलग्न प्रपत्र –1 के अनुसार सूचना पटट् लगाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने जानकारी दी जायें।

ख) सभी लोक प्राधिकरणों के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में संलग्न प्रपत्र – 2 के अनुसार सूचना पटट् लगाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबधी जानकारी दी जाये।

इस प्रकार के सूचना पटट् लगाने के लिए कार्यकारी व्यवस्था अलग से निर्धारित की जा रही है। समस्त लोक प्राधिकरणों से अपेक्षित है कि वे प्रपत्र –1 एंव 2 का आलेख तैयार करा लें।

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह अपेक्षित है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एंव अपील अधिकारी के स्तर पर आवेदन पत्रों के सम्बध में युक्ति संगत ढंग से इन्द्राज किया जायें। इस दृष्टि से कुछ पंजिकाओं का संधारण किया जाना अत्यावश्यक है । विभिन्न स्तरों पर जिन पंजिकाओं का संधारण किया जाना उपयोगी होगा। उनके लिए प्रारूप तैयार कराकर संलग्न किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रारूप के अनुसार पंजिकाओं का नियमित संधारण किया जायें।

अधिनियम के जनोपयोगी महत्व को देखते हुए यह भी अपेक्षित है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना संबधी कुछ बिन्दुओं – जैस कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने प्रकरणों में लापरवाही बरतने संबधी कार्यवाही हुई आदि जिनके बारे में समीक्षा की दृष्टि से समय समय पर जानकारी चाही जा सकती है बाबत जानकारी राज्य स्तर पर भी संधारित की जाये। इस दृष्टि से यह अपेक्षित है कि सूचना के अधिकार के लिये सृजित वेबसाईट www. rajsthan. gov. in/rti-info पर संलग्न प्रपत्र 3 के अनुसार सूचनाऐ नियमित संधारित किये जाने की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक लोक प्राधिकरण को इस वबसाईट पर सीधे इन्द्राज किये जाने के लिए यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड दे दिये हैं। जो उपरोक्त वेबसाईट पर प्रदर्शित है। अपेक्षित है कि लोक प्राधिकरण द्वारा इसमें सूचना इन्द्राज करने के लिए पुख्ता व्यवस्था कर ली जावें। वेबसाईट पर इन्द्राज की गयी सूचना में अनाधिकृत तौर पर परिवर्तन नहीं किया जा सके इसके लिए आवश्यक है कि लोक प्राधिकरण स्तर पर सूचना का इन्द्राज करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा पासवर्ड परिवर्तित कर अपनी सुविधा के अनुसार

दिनांक 20.8.2006 तक नया पासवर्ड निर्धारित कर लिया जावे। पासवर्ड परिवर्तित करने संबंधी मार्गदर्शन परिशिष्ठ 'क' संलग्न हैं।

पंचायती राज सस्थाओं के संदर्भ में इस बाबत व्यवस्थाओं में व्यवाहारिक दृष्टि भिन्नता रखी गयी है जिले की समस्त पंचायती राज सस्थाओं के संदर्भ में इन्द्राज जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कराया जावेगा । इस बाबत् प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यूजर आई.डी. एंव पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं। समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे तत्काल सूचना के इन्द्राज पुख्ता व्यवस्था कर लेवें एंव उपरोक्तानुसार पासवर्ड भी परिवर्तित कर लेंवें ताकि वेबसाईट पर इन्द्राज को अनाधिकृत रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सके।

चूंकि अधिनियम द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त करने एंव उसे लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करने एंव इसी प्रकार अपील प्रस्तुत किये जाने पर भी उसे प्राप्त कर अपील अधिकारी को प्रेषित करने का महत्वपूर्ण दायित्व निर्धारित है कि अतः यह आवश्यक है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर संलग्न प्रपत्र – 4 के अनुसार पंजिका संधारित की जावें।

अधिनियम के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए यह अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा न केवल सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है बल्कि आवेदक को युक्ति संगत मार्ग दर्शन भी दिया जाता है। यह भी अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी के पास प्राप्त आवेदन पत्रों, उन पर की गयी कार्यवाही, जमा फीस आदि का सुस्पष्ट ब्यौरा भी संधारित किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर निम्न पंजिकाऐं संधारित की जावें :–

1. आवेदन पत्रों की प्राप्ति एंव निस्तारण पंजिका (संलग्न प्रपत्र –5)।
2. फीस आदि संबधी पंजिका (संलग्न प्रपत्र – 6)।
3. आवेदन निस्तरण करने संबधी पंजिका (संलग्न प्रपत्र –7)।
4. सूचना आयोग के निर्णयों / सुझावों के क्रियान्वयन संबधी पंजिका (संलग्न प्रपत्र –8)।

इसी प्रकार अपील अधिकारी के स्तर पर भी अपील संबधी संकलित सूचना का संधारण अपेक्षित है। अतः प्रत्येक अपील अधिकारी के स्तर पर संलग्न प्रपत्र –9 पंजिका का संधारण किया जावे।

आज्ञा से,

(वी.एस.सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को :–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकरणों की समीक्षा कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
2. समस्त अपील अधिकारी एंव समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सूनिश्चित करें।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान (समस्त)
4. विशिष्ठ सहायक, गृह मंत्री / गृह राज्य मंत्री
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
6. रक्षित पत्राली।

शासन उप सचिव (समन्वय)

परिशिष्ठ – 'क'

'लोक सूचना अधिकारियों के लिए सूचना अधिकार वेब पोर्टल में पासवर्ड की व्यवस्था'

राज्य सरकार के सूचना प्रौ ोगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 'सूचना के अधिकार' के लिये एक वेब–पोर्टल विकसित किया जा रहा हैं जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को, आधुनिक सूचना तंत्र प्रणाली के माध्यम से सूचना के अधिकार का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना हैं।

इस वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनो को विभाग–वार, संबंधित विभाग के लोक–सूचना अधिकारी को प्रेषित करने की व्यवस्था हैं।

इस व्यवस्था में प्रत्येक लोक–सूचना–अधिकारी को एक उपयोगकर्ता पहचान नाम (User ID Name) एवं पासवर्ड आवंटित किया गया हैं जिससे वह अपने विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों की जानकारी एवं उन पर हुई कार्यवाही का मॉनिटरिंग कर सकें।

'सूचना का अधिकार' का वेब–पोर्टल आरम्भ होने के उपरान्त, प्रथम बार यह उपयोगकर्ता पहचान नाम (User ID Name) एवं पासवर्ड प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिशः सूचित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् लोक–सूचना अधिकारी इस पासवर्ड को अपनी सुविधानुसार समय–समय पर परिवर्तित कर सकते हैं। किन्तु यह कार्य सावधानीपूर्वक करना आवश्यक हैं। इस विषय में संबंधित अधिकारी को पासवर्ड का रखरखाव (Maintenance) करना एवं इसे सुरक्षित रखना (Safe & Secure) व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

पासवर्ड परिवर्तन की विधि निम्नानुसार हैं।

1. अपना उपयोगकर्ता–पहचान नाम (User ID Name) प्रविष्ट करें।
2. अपना वर्तमान पासवर्ड प्रविष्ट करें।
3. पासवर्ड परिवर्तन के लिये "Change Password" बटन का चयन करें।
4. आपके सक्षम निम्न स्क्रीन उपलब्ध होगी।

   Enter Old Password (पुराना पासवर्ड प्रविष्ट करें)

   Enter New Password (नया पासवर्ड प्रविष्ट करें)

   Re-enter New Password (नया पासवर्ड पुनः प्रविष्ट करें)

   OK Cancel

5. उपरोक्त प्रदर्शित स्क्रीन पर चाही गई सूचना प्रविष्ट कर आप अपना पासवर्ड परिवर्तित कर सकतें हैं।

6- इस विधि के अनुसार परिवर्तित पासवर्ड का सावधानी पूर्वक उपयोग, सुरक्षा एवं संधारण प्रत्येक लोक–सूचना का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हैं, कयोंकि प्राप्त आवेदनों आदि की सूचना इस पासवर्ड के अभाव में नहीं हो सकती हैं। कृपया ध्यान रखें कि इस पासवर्ड की सूचना किसी अन्य को होने पर, दुरूपयोग होने की संभावना हैं, जिसकें लिए नामित लोक–सूचना अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। अतः इस पासवर्ड की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक हैं।

<u>राजस्थान सरकार</u>

कार्यालय महानिरीक्षाक, पंजीयन एवम् मुद्रांक विभाग,
'कर भवन' राजस्थान अजमेर।

क्रमांक :– एफ 2 (31) सूचना का अधि0/मार्गदर्शन/ दिनांक :–

शासन उप सचिव,
गृह (समन्वय) विभाग,
कमरा नम्बर 112 मुख्य भवन,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषय :– <u>सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने के क्रम में।</u>

प्रसंग :– <u>गृह (ग्रुप–6) विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 03.05.07 के क्रम में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवम् प्रासंगिक पत्र के क्रम में विभाग द्वारा सूचना के अधिकार हेतु सर्जित वेब साईट (www.home.rajasthan.gov.in) पर नियमित रूप से सूचना का इन्द्राज किये जाने की पुख्ता व्यवस्था करने हेतु विभाग के अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर को नोड़ल अधिकारी विभाग के आदेश क्रमांक एफ–2 (31) सूचना का अधि0/मार्गदर्शन/408–409 दिनांक 04.06.2007 के द्वारा नियुक्त किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1.	अधिकारी का नाम	**श्री पी.सी. शर्मा**
2.	पदनाम	लोक सूचना अधिकारी एवम् अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर
3.	कार्यालय का पता	पंजीयन एवम् मुद्रांक भवन कलेक्ट्रेट परिसर, जयपुर।
4.	दूरभाष नम्बर	0141–5111423 (कार्यालय) 0141–5111423 (फैक्स)

अत : सूचनार्थ प्रेषित है। भवदीय

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवम् मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर।

क्रमाक : एफ 2 (31) सूचना का अधि0/मार्गदर्शन/911 दिनांक 6.6.2007

प्रतिलिपि : अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवम् मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर।

लोक सूचना अधिकारी का पदनाम, पता, आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए उसके कार्यालय में निर्धारित कक्ष का ब्योरा निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	वृत्त का नाम	पद नाम एवं पता	आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित कक्ष का ब्योरा	दूरभाष नं.
1.	मुख्यालय अजमेर	लोक सूचना अधिकारी एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कर भवन, द्वितीय तल, अजमेर।	कमरा न. 308	0145–2627590 0145–2431002
	मुख्यालय अजमेर	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कर भवन, द्वितीय तल, अजमेर।	कमरा न. 308	0145–2627750
2.	अजमेर	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, घूघरा घाटी जयपुर रोड, अजमेर।	कमरा न. 107	0145–2627123
3	अलवर	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, जनाना महल, अलवर।	कार्यालय परिसर	0144–2344634
4	भरतपुर	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, प्रथम तल कलेक्ट्रेट परिसर, भरतपुर	स्टाफ कक्ष	05644–222297
5	बीकानेर	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, बीकानेर	कमरा न. 5	0151–2226641
6	भीलवाड़ा	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, एफ–3 सिविल लाईन, भीलवाड़ा।	कार्यालय परिसर	01482–232619
7	हनुमानगढ़	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, पुरानी कलेक्ट्रेट के पीछे, हनुमानगढ़।	मुख्य हाल	01552–260778
8	ए.डी एम जयपुर	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, जयपुर।	कमरा न. 202	0141–5111423
9	जयपुर (सर्तकता)	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक भवन कलेक्ट्रेट परिसर, जयपुर (सर्तकता)	कमरा न. 102 प्रथम मंजिल	0141–5111589
10	जयपुर–II	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक भवन कलेक्ट्रेट परिसर, जयपुर –II		0141–5111423
11	कोटा	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) कोटा	कमरा न. 2	0744–2327035
12	पाली	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, जिला कोष कार्यालय के ऊपर कलेक्ट्रट परिसर, पाली	कमरा न. 1	02932–225091
13	जोधपुर	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) ग्रामीण कोष कार्यालय के ऊपर प्रथम मंजिल कचहरी परिसर, जोधपुर	निजी शाखा	0291–650507
14	उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) विभाग, हजारेश्वर कॉलोनी जिला कलेक्टर निवास के सामने, उदयपुर	कार्यालय अधीक्षक कक्ष	0294–2422367